भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4297
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पौध कार्यक्रम

4297. श्री बसवराज बोम्मईः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दी है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली, विषाणु मुक्त पौध सामग्री को सुलभ बनाकर बागवानी सम्बंधी गंभीर समस्याओं का समाधान करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश भर में कई विश्व-स्तरीय स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित करने का भी विचार है और यदि हाँ, तो विशेषकर कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में विस्तार करने का इरादा है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हाँ।

(ख): भारत सरकार ने 1765.67 करोड़ रुपये के निवेश से महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम (क्लीन प्लांट प्रोग्राम, सीपीपी) को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य चिन्हित फल फसलों के लिए वायरस-टेस्टेड प्रोपेगेटिव मटीरियल का उत्पादन, रखरखाव और वितरण करना है। यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री प्रदान करके उत्पादकता बढ़ाने, सक्रिय विषाणु और रोग प्रबंधन के माध्यम से इकोसिस्टम की रक्षा करने, क्लीन प्लांट प्रॉडक्शन और वितरण में स्टेकहोल्डर्स की क्षमता निर्माण करने और क्लीन प्लांट सेंटर्स के सतत संचालन को सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ज्ञान नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम के 3 प्रमुख आउटपुट निम्नलिखित हैं:

1. आउटपुट 1. क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए संस्थागत और विनियामक फ्रेमवर्क और नॉलेज नेटवर्क की स्थापना और संचालन - यह कार्यक्रम क्लीन प्लांट प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क और संस्थागत वातावरण की स्थापना करेगा।

2. आउटपुट 2. क्लीन प्लांट सेंटर्स स्थापित और संचालित- कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के सहयोग से पूरे भारत में नौ क्लीन प्लांट सेंटर्स (सी.पी.सी.) विकसित किए जाएंगे। क्लीन प्लांट सेंटर्स मदर प्लांट्स को वायरस और वायरस जैसे रोगाणुओं से मुक्त रखेंगे, ताकि नर्सरियां सी.पी.सी. की पीढ़ी 1 (जी1) ब्लॉक से रोग मुक्त रोपण सामग्री का प्रसार कर सकें।
3. आउटपुट 3. मान्यता प्राप्त नर्सरियों द्वारा उत्पादित प्रमाणित क्लीन प्लांटिंग मटीरियल- यह कार्यक्रम निजी नर्सरियों द्वारा बागवानी पौध स्टॉक प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लेने पर नर्सरी ऑडिट, निरीक्षण और रोग परीक्षण प्रदान करके वायरस-टेस्टेड, स्वच्छ बागवानी पौध सामग्री का उत्पादन सुनिश्चित करेगा। प्रमाणन योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है।

(ग): क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत, देश भर में नौ (09) विश्वस्तरीय क्लीन प्लांट सेंटर्स को चिन्हित किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**आई.सी.ए.आर. संस्थान**	**लोकेशन**	**प्रस्तावित लक्ष्यित फसलें**
1	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (एनआरसीजी)	पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर
2	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर)	बेंगलुरु, कर्नाटक	आम, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो
3	केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई)	नागपुर, महाराष्ट्र	साइट्रस
4	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच)	मुक्तेश्वर, उत्तराखंड	सेब, बादाम, अखरोट, बेरी, अन्य शीतोष्ण फल
5	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र (एनआरसीपी)	सोलापुर, महाराष्ट्र	अनार
6	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईएसएच)	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	आम, अमरूद, लीची
7	केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच)	बीकानेर, राजस्थान	साइट्रस
8	आईसीएआर – सीआईएसएच, क्षेत्रीय स्टेशन	मालदा, पश्चिम बंगाल	आम, अमरूद, लीची, एवोकाडो
9	केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच)	जम्मू और कश्मीर	सेब, बादाम, अखरोट, बेरी,अन्य शीतोष्ण फल

(घ) और (ङ): वर्तमान में, इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में विस्तारित करने की कोई योजना नहीं है। भविष्य में किसी भी अतिरिक्त राज्य या फसल में विस्तार पर उपरोक्त सी.पी.सी. और फसलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

*****